

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट सं० 8 एवं 9 में श्री हरीश चन्द्र धिल्लियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्लियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमे हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

- | | | |
|--------------------------------|---|-------|
| 1. ईका-क्लास श्रेणी | - | |
| 2. हरियाली का घनत्व | - | |
| 3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० | - | |
| 4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | - | |
| 5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि | - | |

ह० वन विभागाधिकारी
उत्तराखण्ड वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

सहायक वन अधिकारी/उप प्र० वना०
रामनगर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर
उत्तराखण्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

नोट:- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

परियोजना का नाम:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड़ के किनारे प्लॉट सं० ४ एवं ५ में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल को लीज पर दी गयी वन भूमि का नदीनीकरण प्रस्ताव के सम्वन्ध में।

एन०वी०पी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि अविध्य में गा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०वी०पी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०वी०पी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

For A. S. Services & Piling-Conts

80/- *Shildiya*

प्रयोक्ता एजेन्सी

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।